संख्या-15-1954(1)/86-2014-1(20)/92

प्रेषक,

डॉ0 गुरदीप सिंह ,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूत्तव एवं खनिकर्म, उ0प्र0,
लखनऊ।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 19 सितम्बर, 2014

विषय- "उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आशुलिपिक संवर्ग सेवा नियमावली, 2014" को भूतत्व एंव खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 में अंगीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपयुक्र्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि वित्त विभाग द्वारा आशुलिपिक संवर्ग के संबंध में पूर्व में विद्यमान नियमावली की व्यवस्था को अतिक्रमित करते हुए प्रदेश के सरकारी विभागों हेतु "उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आशुलिपिक संवर्ग सेवा नियमावली, 2014" का प्रख्यापन अधिसूचना संख्या-वि0वे0नि0(प्रकोष्ठ)/97-दस-2014, दिनांक 06-06-2014 द्वारा की जा चुकी है। उक्त नियमावली के प्रख्यापन के उपरान्त अलग से भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की नियमावली में संशोधन या नई नियमावली के प्रख्यापन की आवश्यकता नहीं रह गयी है।

2. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग द्वारा निर्गत "उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आशुलिपिक संवर्ग सेवा नियमावली, 2014" को भूतत्व एवं ख्निकर्म विभाग, उ0प्र0 में तात्कालिक प्रभाव से अंगीकृत किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय,

(डॉ0 गुरदीप सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या-1954(2)/86-2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
2- कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
3- विभागीय बेवसाइट पर अपलोड/पोस्ट किये जाने हेतु।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गेन्दन लाल)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in